कार्यालय नगर निगम, मुरादाबाद।

पत्रांक :3। /स्वा0वि0/न0नि0मु0/2017–18 दिनांक/2-.04.2018

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा पंजीकृत अनुभवी संस्थाओं/गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) से महानगर सीमान्तर्गत आवारा कुत्तों को पकडकर बन्धयाकरण एवं एन्टी रेबीज टीकाकरण आदि हेतु वित्तिय वर्ष 2018–19 के लिये दिनांक 04.05.2018 की सांय 04:00 बजे तक ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है। जिसकी पूर्ण सचना वेबसाईट www.nagarnigammoradabad.in एवं https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

उप नगर आयुक्त/प्रभारी वरि0न0स्वा0 अधिकारी
नगर निगम, मुरादाबाद

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुरादाबाद

प्रतिलिपि :

1. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र ....हिन्दुस्तान.... को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर फॉट (08) के न्यूनतम साइज में एक बार प्रकाशित करते हुये समाचार पत्र की 03 प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नाजिर/सिस्टम मैनेजर (आउटसोर्सिंग) को वेवसाइट www.nagarnigammoradabad.in एवं https://etender.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुरादाबाद

कार्यालय नगर निगम, मुरादाबाद।

पत्रांक :30 /स्वा0वि0/न0नि0मु0/2017–18 दिनांक 12-04.2018

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा पंजीकृत अनुभवी संस्थाओं/गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) से महानगर सीमान्तर्गत आवारा कुत्तों को पकडकर बन्धयाकरण एवं एन्टी रेबीज टीकाकरण आदि हेतु वित्तिय वर्ष 2018–19 के लिये दिनांक 04.05.2018 की सांय 04:00 बजे तक ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा दिनांक 03.05.2018 की प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 04.05.2018 की सांय 04.00 बजे तक ऑनलाईन अपलोड की जा सकती है। उक्त निविदा दिनांक 04.05.2018 को सांय 04:30 बजे महाप्रबन्धक (जल)/अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद के कार्यालय पीलीकोठी पर खोली जायेगी। निविदा डालने से पूर्व 10 प्रतिशत की एफ.डी.आर./एन.एस.सी. जो नगर आयुक्त नगर निगम, मुरादाबाद के नाम बन्धक हो दिनांक 03.05.2018 से 04.05.2018 की दोपहर 03:00 बजे तक मूल रूप में निविदा बॉक्स में डालना अनिवार्य है तथा उक्त एफ.डी. आर. को ऑनलाईन निविदा डालते समय स्कैन कर अपलोड करना होगा। उक्त निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigammoradabad.in एवं https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। निविदा डालने हेतु निविदादाताओं को वेबसाईट https://etender.up.nic.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पंजीकंरण न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं हो पायेगा। उक्त निविदा तिथि को यदि अवकाश होता है, तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।

उप नगर आयुक्त/प्रभारी वरि0न0स्वा0 अधिकारी
नगर निगम, मुरादाबाद

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुरादाबाद

प्रतिलिपि :

1. निविदा कमेटी से सम्बन्धित सदस्यो को सूचनार्थ प्रेषित।
2. नाजिर/सिस्टम मैनेजर (आउटसोर्सिंग) को वेवसाइट www.nagarnigammoradabad.in एवं https://etender.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
3. नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुरादाबाद

1. नगर निगम सीमान्तर्गत केवल व्यस्क आवारा कुत्तो को पकडकर बन्धयाकरण एंव एन्टी रेबीज टीकाकरण के बाद पकडे गये स्थलों पर छोडने की जिम्मेदारी संस्था/ठेकेदार की स्वंय होगी।
2. आवारा कुत्तों का बन्धयाकरण का कार्य शासन/जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा S.O.P.(स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) के अनुसार ही किया जायेगा।
3. ठेकेदार/संस्था द्वारा बन्धयाकरण एंव एन्आी रेबीज टीकाकरण कार्य पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ता) अधिनियम 2001 के अनुसार होगा।
4. ठेकेदार/संस्था का पशु चिकित्सा परिषद Vetrinary Council of India से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
5. ठेकेदार/संस्था को कुत्तो का बन्धयाकरण करने का पॉच वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 आवारा कुत्तो का बन्धयाकरण का कार्य किसी संस्था मे किया गया हो।
6. ठेकेदार द्वारा कुत्ते पकडने के लिये जो कर्मचारी लगाये जायंगे वह पूरी तरह अनुभवी होने चाहिए व किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो ठेकेदार स्वंय उत्तरदायी होगा।
7. ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि के रूप मे रू0 01 लाख की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो नगर आयुक्त, नगर निगम मुरादाबाद के नाम बन्धक हो अपर नगर आयुक्त कार्यालय पीलीकोठी नगर निगम, मुरादाबाद में रखे निविदा बॉक्स में डालना अनिवार्य है।
8. सफल निविदा दाता को कार्य आदेश से पूर्व नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर 01 सप्ताह के भीतर अनुबन्ध सम्पादित कराने हेतु शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
9. कुत्तो को (मेल/फीमेल) का बन्धयाकरण कुत्तो की जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाना है। बन्धयाकरण करने के पश्चात पकडे गये स्थान पर ही छोडने के सम्बंध मे नगर निगम द्वारा अधिकृत किये गये कर्मचारी/अधिकारी की आख्या/प्रमाण पत्र के अनुसार ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
10. नगर निगम द्वारा ठेकेदार/संस्था को कुत्ता बन्धयाकरण हेतु बिल्डिंग/बिजली/पानी की व्यवस्था कराई जायेगी किन्तु उनके रखने, खाने व अन्य संसाधनो की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।
11. ठेकेदार /संस्था के पास नियमानुसार जी0एस0टी0 आदि का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
12. ठेकेदार/संस्था के पास कुत्तो को पकडने एंव लाने ले जाने हेतु आवश्यक वाहन होना अनिवार्य होगा।
13. ठेकेदार/संस्था के द्वारा कुत्ता बंन्धयाकरण का कार्य जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड के नियमानुसार होना चाहिए।
14. कार्य से सम्बन्धित कोई विवाद होने व कार्य सन्तोषजनक नहीं होने के कारण निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम मुरादाबाद में निहित होगा।
15. बन्धयाकरण किये गये कुत्तो की गिनती एंव पहचान कराने का उत्तरदायित्व संस्था का होग। ऑपरेट किये गये कुत्तो की संख्या का सत्यापन क्षेत्रीय सफाई सुपरवाईजर द्वारा किया जायेगा। क्षेत्रीय सफाई एंव खादय निरीक्षक द्वारा प्रमाणित बिल भुगतान हेतु वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
16. कुत्तो को पकडकर बन्धयाकरण करके उनके खन पान देख–रेख एंव स्वस्थ्य होने पर पकडे गये स्थलों पर छोडना होगा।
17. ठेकेदार/संस्था को नगर निगम अधिनियम, निविदा नियमावली एंव समय समय पर जारी शासनादेश मान्य होंगे।
18. कुत्तो के बन्धयाकरण के कार्य की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई व बढाई जा सकती है।
19. निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम, मुरादाबाद मे निहित है।
20. किसी भी विवाद की स्थिति मे न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।

उप नगर आयुक्त/प्र0व0न0स्वा0अधि0
नगर निगम, मुरादाबाद।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुरादाबाद।